

समाहरणालय, बक्सर
(राजस्व शाखा)

अल्पकालीन निविदा सूचना

आपदा प्रबंधन विभाग का पत्रांक 1/प्रा0आ0-84/2003/5298/आ0प्र0, दिनांक 09-12-13 के अलोक में संभावित बाढ़ 2016 के मद्देनजर 50 अतिरिक्त मझोली नावों का क्रय किया जाना है। इस हेतु इच्छुक निर्माण/आपूर्तिकर्ता से मुहरबन्द निविदा दिनांक- ~~22-08-2016~~ को 3:00 बजे अपराहन तक आमंत्रित की जाती है। निविदा जिला राजस्व शाखा, बक्सर में प्राप्त किया जायेगा। प्राप्त निविदा को दिनांक ~~22-08-2016~~ कोके 4:00 बजे अपराहन में अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में जिला क्रय समिति के समक्ष खोला जायेगा। निविदा खोलने के समय निविदादाता स्वयं या उनके द्वारा प्राधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित रह सकते है। निर्धारित तिथि एवं समय के पश्चात प्राप्त निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।

सामग्री का विवरण निम्नवत है :-

क्र०	नाव का किस्म	नाव का साईज	नाव की गुणवत्ता
1	मझोली नाव	लम्बाई-25 फीट, चौड़ाई-7 फीट गहराई-3 फीट (बगली) लकड़ी की मुटाई-1.25 इंच तरी 1.5 इंच	लकड़ी जामुन एवं सखुआ सहित (असड़ा रहित) तख्ता की मुटाई-0-75, 70% जामुन 30% सखुआ

निविदा की शर्तें :-

1. निविदा के रूप में तकनीकी निविदा एवं वित्तीय निविदा सभी कागजातों के साथ अलग-अलग शील्ड लिफाफा में जमा करना होगा।

तकनीकी निविदा :-

2. तकनीकी निविदा योग्य पाये जाने वाले निविदाओं का ही वित्तीय निविदा खोला जायेगा।
3. तकनीकी निविदा के साथ दुकान का निबंधन प्रमाण-पत्र वाणिज्यकर विभाग का निबंधन एवं वाणिज्यकर द्वारा निर्गत स्वच्छता प्रमाण-पत्र, आयकर विभाग द्वारा निर्गत पैन नं० एवं पैनकार्ड की छायाप्रति, फर्म का नाम जो काली सूच में दर्ज नहीं है के संबंध में शपथ पत्र देना होगा एवं निविदादाता का विगत वर्ष का वार्षिक टर्न ओभर कम से कम 50.00 लाख का होना अनिवार्य है।
4. निविदा के साथ रुपये 10,000/- का बैंक ड्रॉपट अग्रधन के रूप में जिला पदाधिकारी, बक्सर के पदनाम से जमा करना होगा।


वित्तीय निविदा :-

5. वित्तीय निविदा में प्रति नाव साईज के अनुसार दर सभी कर सहित अंकित करना होगा।

4

वित्तीय निविदा :-

6. सफल निविदादाता को उपर्युक्त शर्तों के अनुरूप तीन दिनों के अन्दर एकरारनामा करना होगा।
7. न्यूनतम दर वाले सफल निविदादाता द्वारा कायदेश निर्गत की तिथि से 30 (तीस) दिनों के अन्दर नाव की आपूर्ति करनी होगी।
8. निविदा के शर्तों के अनुरूप नाव की आपूर्ति नहीं करने पर भुगतान नहीं किया जायेगा एवं कानूनी कार्रवाई की जायेगी।
9. निर्धारित मूल्य पर जिला के किसी भी स्थान पर नाव की आपूर्ति करनी होगी इसके लिए अलग से कोई मार्ग व्यय देय नहीं होगा।
10. सामग्रियों के आपूर्ति हेतु किसी प्रकार का अग्रिम देय नहीं होगा।
11. न्यूनतम दर पर सामग्रियों की आपूर्ति हेतु एक से अधिक फर्मों को आदेश देने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी को सुरक्षित रहेगा।
12. आपूर्ति की गयी सामग्रियों के विरुद्ध भुगतान हेतु समर्पित विपत्र से नियमानुसार वैट एवं आयकर की कटौती कर भुगतान किया जायेगा।
13. अधोहस्ताक्षरी को बिना कारण बताये निविदा रद्द अथवा स्थगित करने का अधिकार होगा।


जिला पदाधिकारी
बक्सर